

105/26 पत्रावली अहमद तहसीलदार अम्माद की रिपोर्ट जाट गरी। पुनः एकाग्र पत्र जारी हो। पत्रावली अम्माद डिग्री 25/5/26 को पेश हो।

225/26 पत्रावली अहमद। वास्ते तहसीलदार रिपोर्ट अम्माद डिग्री 31/6/26 को पेश हो।

26/26 पत्रावली अहमद। तहसीलदार अम्माद से मोना रिपोर्ट जाट हुई। अम्माद डिग्री 10/6/26 को वास्ते अम्माद रिपोर्ट पेश हो।

106/26 पत्रावली अहमद हुई। वकील जर्जीया उपस्थित। तहसीलदार अम्माद से मोना रिपोर्ट रिपोर्ट जाट हुई। शा. मि. ल. की गरी कहल जर्जीया फारुकी गरी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अणुलोमन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट मुताबिक राकल रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जर्जीया व अम्माद द्वारा अपनी अग्नि हातांतरित हो गया चुकी है। जर्जीया व अम्माद द्वारा अग्नि में गरी लि-ला-सोष नहीं है। अतः संपूर्ण अग्नि में व्याप 25 'डू' आ. धि एम के तहत शाला उदान नहीं किया जा सकता। अतएवं जर्जीया का जर्जीया-पत्र व्याप 25 'डू' RTR पोषणीय नहीं है। अतः जर्जीया का जर्जीया पत्र व्याप 25 'डू' RTR स्वरिज किया जाता है। पत्रावली अम्माद द्वारा दायित्व दस्तावेज नम्बर से कृत हो।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनुपगढ़